(*i*) whether sufficient capacity was lying idle in the country for oil barrels to which Government was unable to allocate steel sheets even to the extent of one shift of their licensed capacity;

(*ii*) where from did Hind Galvanising obtain and instal machines for manufacture of oil barrels since Indian Galvanising Co. did not sell their oil barrel plant to them and whether the former obtained necessary permission to get and instal these machines under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (*i*) and (*ii*). Relevant factors including raw material availability were taken into account before registering the available oil barrel manufacturing capacity of M/s. Hind Galvanizing and Engineering Co. (Pvt.) Ltd. On verification, it was found that with the improvisation of the existing machinery it was possible for them to manufacture oil barrels. Additional machinery was purchased from established importer. The question of licence under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 did not arise with reference to the value of fixed assets intimated by the firm.

रेलवे विभाग में हिन्दी शिक्षक

5497. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत हिन्दी शिक्षकों का वेतनमान 250–475 रुपये है और रेलवे विभाग में वेतनमान 170–380 रुपये है, जबकि उन दोनों के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम तथा योग्यतायें समान हैं और वे एक ही परीक्षा निकाय के अधीन कार्य करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). सूचना मंगायी जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास के लिये पूंजी निवेश गृह

5498. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री** 28 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7250 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में निवेश-गृह स्थापित किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) और किन-किन राज्यों में निवेश-गृह स्थापित किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद) : (क) लघु उद्योग बोर्ड ने अपनी 24वीं बैठक में इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया था और अन्त में यह सिफारिश की थी कि केन्द्र में एक राष्ट्रीय विनियोजन गृह (नेशनल इन्वेस्टमेंट हाउस) की स्थापना की जाय जो लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करे । उस प्रस्ताव में यह भी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रीय विनियोजन गृह के क्षेत्रीय कार्यालय होंगे जो एक या अधिक राज्यों में इस काम को देखेंगे । यह प्रस्ताव अभी लघु उद्योग बोर्ड की ऋण सुविधा सम्बन्धी स्थायी समिति के विचाराधीन है । उपसमिति की तीन बैठकें हो चुकी हैं और उसके प्रतिवेदन को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायगा । जब भी राष्ट्रीय-विनियोजन गृह की स्थापना के प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया जायगा उत्तर प्रदेश उसके उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत आ जायगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Research Sub-Station of the Coir Board

5499. **SHRI S. C. SAMANTA** : Will the Minister of COMMERCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2005 on the 9th June, 1967 and state :